श्री बीरेन्द्र कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या-23/2026 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
केन्द्र सरकार की योजना के तहत पश्चिमी कोशी नहर का विस्तार किया गया है, जिसमें दरभंगा और मधुबनी के सम्पूर्ण भाग को लिया गया है, लेकिन समस्तीपुर को छोड़ दिया गया है, जबकि राशि भी पर्याप्त है। समस्तीपुर जिले के बूढ़ी गंडक नदी के उतरी हिस्से को भी इस विस्तार में लिये जाने से लोखों किसान लाभान्वित होंगे, जिससे यह जल-प्रबंधन के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा । अतः मैं समस्तीपुर जिले के बूढ़ी गंडक नदी के उतरी हिस्से को भी प० कोशी नहर के विस्तारीकरण में शामिल किए जाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ ।	वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य हेतु रू0 7832.29 करोड़ मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त है। इस योजनान्तर्गत पूर्व से निर्मित नहर प्रणाली में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य के साथ-साथ उग्रनाथ शाखा नहर, विदेश्वर स्थान उपशाखा नहर एवं काकरघाटी शाखा नहर का विस्तारीकरण एवं इसके नहर प्रणाली का निर्माण कार्य कराया जाना है। पूर्व से निर्मित नहर प्रणाली का अधिकांश भाग मधुबनी जिला में एवं आंशिक भाग दरभंगा जिला में अवस्थित है। पश्चिमी कोशी मुख्य नहर कोशी बराज के दायाँ शीर्ष नियामक से निकलती है जिसकी कुल लम्बाई 35.13 कि०मी० नेपाल भाग में तथा 56.69 कि०मी० भारतीय भाग में है । इस नहर का रूपांकित जलश्राव 8500 क्यूसेक है । इस जलश्राव के आधार पर ही निर्मित नहर प्रणाली एवं विस्तारीकरण के पश्चात निर्मित होने वाली नहर प्रणाली में जलश्राव प्रवाहित किया जाना है, जिसका अनुमोदन केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा दी गई है। अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार उग्रनाथ शाखा नहर, विदेश्वर स्थान उपशाखा नहर एवं काकरघाटी शाखा नहर के विस्तारीकरण के पश्चात भी इसका अंतिम छोर दरभंगा जिला में ही समाप्त हो जाता है। नहर प्रणाली का निर्माण रूपांकित जलश्राव के आधार पर किया जाता है। उपरोक्त वर्णित नहरों को इसके आगे विस्तारीकरण करने से (समस्तीपुर जिला तक) इसकी उपयोगिता नहीं रह पाएगी। अतएव समस्तीपुर जिला में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना का विस्तारीकरण करना तकनीकी दृष्टिकोण से संभव नहीं है ।

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

ज्ञापांक–25 / वि0स0नि0(द0)–03–25 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–1012 दिनांक–06.05.2026 के प्रसंग में निवेदन सं0–23 / 26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0नि0(द0)–03–25 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0नि0(द0)–03–25 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0नि0(द0)–03–25 / 2026– 3641 पटना, दिनांक– 13/08/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.08.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo